

[श्री मोतीभाई आर० चौधरी]

सिफारिश की है कि इस देसी बीड़ी तम्बाकू आदि को तम्बाकू बोर्ड एक्ट के अन्तर्गत लिया जाए। अतः मेरा वाणिज्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सिफारिश के मूलावधिक तम्बाकू बोर्ड एक्ट में इस सत्र में संशोधन कर के ऐसा प्रावधान किया जाए कि तम्बाकू पकाने वाले किसानों को अगले सीजन में लाभ मिले। इस बारे में संसद् के पिछले सत्र में गुजरात के तम्बाकू पकाने वाले किसानों का प्रतिनिधि मंडल माननीय वाणिज्य और कृषि मंत्री जी को भी मिला था और उसी समय उन को यह आश्वासन भी दिया गया था कि उपरोक्त मामले में शीघ्र उन के हक में संशोधन किया जाएगा। इस सत्र में ही यह संशोधन हो जाए, यह मेरा अनुरोध है।

(viii) NEED FOR A PROBE INTO ROTTING OF WHEAT DUE TO NEGLIGENCE OF RAILWAY AUTHORITIES AND THE F.C.I.

SHRI ATAL BIHARI VAJ-PAYEE (New Delhi): Sir, while India is importing wheat from the USA, a huge quantity of wheat is being damaged due to criminal negligence of railway authorities and the bungling of FCI.

On July 1, 1981, a consignment of wheat worth over Rs. 1.5 million was despatched in 19 open wagons from Doraha station in Punjab to Chakradharpur. The goods train carrying wheat reached Chakra-dharpur only on July 26, 1981. In the meantime, more than 10,000 quintals of wheat were damaged as the train was detained at Chandrapur Railway Station for 25 days.

More than 300 quintals of wheat have been declared unfit for human consumption. Yet, it has been sold to 3 flour mills.

This is not the first time that huge quantity of foodgrains has been

destroyed in Chhotanagpur alone. In July 16,000 quintals of Punjab wheat was damaged at Ranchi and Tatisilway stations. Another big consignment of rotten wheat was received at Dhanbad station some time back and the issue was referred to on the floor of the House. If the figures for the whole country are collected and publicised, the quantity of foodgrains which is damaged either in transit or in government godowns might come to lakhs of tonnes.

I ask the Minister for Food to take immediate action against erring officials for sending wheat in open wagons. The Railway Minister must fix the responsibility for the break-down of the goods train necessitating detention at Chandrapur.

16.52 hrs.

COAL MINES LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL

AMENDMENTS MADE BY RAJYA SABHA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): Sir, I beg to move:

‘That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947, be taken into consideration:

“Enacting Formula

(1) That at page 1, line 1, for the word ‘Thirty-first’ the word ‘Thirty-second’ be substituted.”

“Clause 1

(2) That at page 1, line 4, for the figure ‘1980’ the figure ‘1981’ be substituted.”

MR. CHAIRMAN: Motion moved :

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947, be taken into consideration:—

"Enacting Formula

(1) That at page 1, line 1, for the word "Thirtysfirst" the word "Thirty-second" be substituted."

"Clause 1

(2) That at page 1, line 4, for the figure '1980' the figure '1981' be substituted."

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, यह कोयला खान श्रम कल्याण निधि खास तौर से कोल माइन्स में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बनाई गई थी। इस एक्ट में 1947 के बाद एक बार 1979 में अमेंडमेंट हुआ था, उस के बाद एक अमेंडमेंट यह आप ले कर आए हैं। इस एक्ट का परपज कोल माइन्स में काम करने वाले कर्मचारियों के रहन सहन को ऊंचा उठाना है चाहे वह उन की मैडिसिन्स से सम्बन्धित हो, चाहे उन के आवास से सम्बन्धित हो, चाहे उन के बच्चों की शिक्षा से सम्बन्धित हो या उन की हेल्थ ठीक करने के लिये हो। यह निधि उन के वेलफेयर के लिए है। मगर 1947 से लेकर आज तक जो हम लोग और इस देश के लोग कोल माइन्स के वर्कर्स की कंडीशन देख रहे हैं, इस निधि के बावजूद भी उन का रहन सहन ऊंचा नहीं उठ पाया है। जो पेपर्स की रिपोर्ट्स इस के बारे में है उन के अनुसार हालत यह है कि आज तक आप कोल माइन्स के वर्कर्स को अच्छा सा एक कमरे का भी मकान मुहैया नहीं कर पाये। इस के लिए गवर्नमेंट की अलग स्कीम्स और इस निधि के होते हुए भी उन के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इसका जो परपज है मैं परपज पर नहीं कहना चाहता, परपज बहुत अच्छा है, यह अमेंडमेंट जो आप लाए हैं, इसके

परपज का मैं विरोध नहीं करना चाहता। लेकिन कोल माइन्स के वर्कर्स की जो कंडीशन है वह इतनी गिरी हुई है और सरकार ने अमेंडमेंट लाने के बाद भी उन का लिविंग स्टैंडर्ड इतना डाउन है कि जिस की तरफ सरकार दिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही है। आज हजारों कोल माइन्स के मजदूर काम करते हुए मर जाते हैं तो उन के बच्चे बेघर हो जाते हैं। उस घर में बच्चों को रहने भी नहीं दिया जाता। इसलिए ऐसा प्रावजन किया जाना चाहिए कि किसी मजदूर के मरने के बाद उस के बच्चों को रहने के लिए मकान मिलेगा। जब तक कि उस का कोई लड़का मेजर न हो जाए तब तक के लिए उन की यह सुविधा मिलनी चाहिए।

आजकल खानों में दुर्घटनायें होती हैं वहां पर मजदूरों को मरने के बाद उनके बच्चों के भविष्य के लिए कोई निधि नहीं रहती है। इसलिए इस बिल में आप को इस तरह का प्रावजन रखना चाहिए कि किसी मजदूर के मरने के बाद उस के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बातों के लिए यह फंड जो आप बना रहे हैं उसमें से उनको सहायता दी जायेगी। इसके साथ ही मजदूरों की वर्किंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि किसी दुर्घटना में अगर वह मारा जाता है तो जब तक कि उसका बड़ा लड़का मेजर न हो जाए, इस फंड के द्वारा उस की फैमिली को आर्थिक सहायता दी जायेगी। यही कुछ बातें मुझे यहां पर कहनी थी। इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

श्री विक्रम महाजन : सभापति महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जहां तक वर्कर्स का ताल्लुक है, सरकार की यह नीति है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहायतें दी जायें और साथ ही साथ उनके परिवारों को ज्यादा से ज्यादा सहायतें दी जायें। इसके तहत 1978-79 में 8 करोड़ रुपया रखा गया था और

[श्री विक्रम महाजन]

1980-81 में जबकि नयी सरकार बनी, 12-13 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि छठी पंच-वर्षीय योजना के तहत और सहूलियतें दी जायेंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा घरों के लिए और बाकी एमिनिटीज के लिए पैसा दिया जाए। अभी तक हम सिर्फ 75 फीस फी टन सेस लेते थे लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सके और उससे ज्यादा एमिनिटीज की व्यवस्था की जा सके।

जहां तक वर्कर्स के काम करने की बात है, अगर किसी वर्कर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो उसके लिए सरकार की पालिसी यह है कि उस परिवार में से बेवा या किसी एक बच्चे को नौकरी दी जाए। इस सम्बन्ध में जो कम्पेंसेशन दिया जाता है उसके लिए अलग फंड है। उसके अन्तर्गत अगर कोई डिसेबिल हो जाए तो अलग कम्पेंसेशन होता है और अगर डेथ हो जाए तो अलग कम्पेंसेशन दिया जाता है। इससे कुल 40-50 हजार का सारा कम्पेंसेशन पैकेट बनता है। आज देश में कोल माइन्स के वर्कर्स हैं वे वेस्ट एंड-वर्कर्स में से हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे उनको और भी ज्यादा एमिनिटीज दी जायें। मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि यह बिल, जो राज्य सभा में अमेण्ड हुआ है इस पर यह सदन भी अपनी सहमति व्यक्त करे।

श्री जगपाल सिंह : क्या प्राइवेट कंपनीज से भी यह पैसा लेंगे ?

श्री विक्रम महाजन : अब प्राइवेट कम्पनी कोई नहीं है सभी नेशनलाइज

होगई हैं। बाकी कम्पनीज जो हैं वह स्टील मिल्स से साथ कनेक्टेड हैं।

MR. CHAIRMAN : The question is :

“ That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Coal Mines Labour Welfare Fund Act, 1947, be taken into consideration :

“Enacting Formula

(1) That at page 1, line 1, for the word “Thirty first the word “Thirty-second be substituted.”

“Clause 1

(2) That at page 1, line 4, for the figure ‘1980’ the figure ‘1981’ be substituted.

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up amendments made by Rajya Sabha. The question is:

“Enacting Formula

(1) That at page 1, line 1, for the word ‘Thirty-first’ the word ‘Thirty-second’ be substituted.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“Clause 1

(2) That at page 1, line 4, for the figure ‘1980’ the figure ‘1981’ be substituted.”

The motion was adopted.

SHRI VIKRAM MAHAJAN: I beg to move that the amendments by Rajya Sabha in the Bill be agreed to.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

The motion was adopted.

17 hrs.

HIGH COURT AT BOMBAY
(EXTENSION OF JURSDIC-
TION TO GOA, DAMAN AND
DIU) BILL

AMENDMENTS MADE BY RAJYA SABHA

THE MINISTER OF LAW,
JUSTICE AND COMPANY
AFFAIRS (SHRI P. SHIVSHAN-
KAR): Sir, I beg to move:

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill to provide for the extension of the jurisdiction of the High Court at Bombay to the Union territory of Goa, Daman and Diu; for the establishment of a permanent bench of that High Court at Panaji and for matters connected therewith, be taken into consideration:—

"Enacting Formula

(1) That at page 1, line 1, for the word 'Thirty-first' the word 'Thirty-second' be substituted."

Clause 1

(2) That at page 1, line 4, for the figure '1980' the figure '1981' be substituted."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the following amendments made by Rajya Sabha in the Bill to provide for the extension of the jurisdiction of the High Court at Bombay to the Union territory of

Goa, Daman and Diu; for the establishment of a permanent bench of that High Court at Panaji and for matters connected therewith, to be taken into consideration:—

"Enacting Formula

(1) That at page 1, line 1, for the word 'Thirty-first' the word 'Thity-second' be substituted."

Clause 1

(2) That at page 1, line 4, for the figure '1980' the figure '1981' be substituted."

The motion was adopted .

MR. CHAIRMAN : We shall now take up the amendments made by the Rajya Sabha.

The question is :

"Enacting Formula

(1) That at page 1, line 1, for the word 'Thirty-first' the word 'Thirty-second' be substituted."

"Clause 1

(2) That at page 1, line 1, for the figure '1980' the figure '1981' be substituted."

The motion was adopted.

SHRI P. SHIV SHANKAR :
Sir, I beg to move :

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the amendments made by Rajya Sabha in the Bill be agreed to."

The motion was adopted.